

—2163—



## मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

क्रमांक 12123/07/2015/चयन

इन्दौर, दिनांक 5 NOV 2016  
18-NOV-2016

### चयन परिणाम

(एस.एल.पी. क्रमांक 33987/2015, पारित दिनांक 11.12.2015 एवं रिव्यू एस.एल.पी. — 2878/2016 म0प्र0 लोक सेवा आयोग विरुद्ध राधिका पवौरी एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 11.08.2016 को पारित निर्णय के संबंध में आयोग की बैठक दिनांक 19.09.2016 में लिए गए निर्णय के परिपालन में )

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 02/परीक्षा/2013/दिनांक 23.09.2013 के द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के कुल 722 पद विज्ञापित किये गये थे। उक्त पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 15.03.2015 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा का परिणाम दिनांक 28.05.2015 को घोषित किया जाकर अर्ह आवेदकों के साक्षात्कार दिनांक 21 सितम्बर, 2015 से 24 नवम्बर, 2015 तक आयोजित किये गये थे। साक्षात्कार उपरांत अंतिम चयन परिणाम दिनांक 27.11.2015 को घोषित किया गया था।

2/ आयोग द्वारा न्यायालयीन प्रकरण वाले आवेदकों के चयन परिणाम न्यायालयीन निर्णय के अध्ययन रखे जाकर रोके गये थे। आयोग के निर्णय के आधार पर निम्नलिखित याचिकाकारों के चयन परिणाम घोषित किए जा रहे हैं:-

सं.क्र	रोल नंबर	याचिकाकार का नाम	याचिका क्रमांक	चयन परिणाम की स्थिति
01	103503	अनिल प्रसाद जैतवार	WP NO. 6278/2015	अचयनित ✓
02	101193	नेहा चौहान	WP NO. 15754/2015	अचयनित

- 01) याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 6278/2015 अनिल प्रसाद जैतवार विरुद्ध म0प्र0 लोक सेवा आयोग एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ, ग्वालियर में दायर याचिका के संबंध में आयोग द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 19.09.2016 के परिपालन में अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जा रहा है।
- 02) याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 15754/2015 नेहा चौहान विरुद्ध म0प्र0 लोक सेवा आयोग एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ, इन्दौर में दायर याचिका के संबंध में आयोग द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 19.09.2016 के परिपालन में अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जा रहा है।

3/ याचिकाकार अनिल प्रसाद जैतवार, रोल नम्बर 103503 (अनुसूचित जाति) एवं याचिकाकार नेहा चौहान, रोल नम्बर 101193 (अनुसूचित जाति) के साक्षात्कार के परिणामस्वरूप, गुणानुक्रम में कुल प्राप्तांक,


-2164-

-2-

कट ऑफ मार्क से कम होने के फलस्वरूप अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया। तदनुसार इनका चयन परिणाम घोषित किया जाता है।

टीप :-

1. "चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।"

  
(रेनु पंत)  
सचिव